

## कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी

पत्रांक: उत्पाथगिक स्तर मान्यता/ 16241-42 / 2020-21 दिनांक 28-12-2020

प्रबन्धक,

शहीद आरोएन०एस० एजूकेशन अकेडमी, बिछवंग,  
विंख०-सुल्तानगंज, जनपद-मैनपुरी।

**विषय:** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुल्तानगंज की संस्तुति और आपके तारीख 31-08-2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यवृत्ती पत्राचार शहीद आर एन एस अकेडमी जिरोटी बिछवंग विंख०-सुल्तानगंज, जनपद-मैनपुरी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 30-03-2026 तक 06 वर्ष की अवधि के लिए कक्ष 01 से कक्ष 08 तक के लिए अनन्ति मान्यता प्रदान की संसूचना देता है। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1. अमान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्ष 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाध्य-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 (या वयास्थिति, नसरी कक्षा में), उस कक्षा ने बालकों की संख्या के 40 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उत्पाथगिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपवारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
7. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
8. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
9. उत्पाथगिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
10. उत्पाथगिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
11. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
12. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अप्लाई होंगे।
13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और।



14. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
15. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
16. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं-
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| कुल निर्मित क्षेत्र  | - 989.24 वर्ग मी०।         |
| क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल  | - 378.46 वर्ग मी०।         |
| कक्षाओं की संख्या  | - उपलब्ध है।               |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भाड़ागार के लिए कक्ष                                 | - 08 लेण्टर्ड कक्ष         |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय   | - पृथक्-02 कक्ष उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा   | - उपलब्ध है।               |
| मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई   | - उपलब्ध है।               |
| वाधारहित पहुंच   | - उपलब्ध है।               |
| अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलबूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है। | - उपलब्ध है।               |
17. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्ष नहीं चलाई जायेगी।
18. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
19. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि नियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रष्टुत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
20. रकूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
21. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक घर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
22. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक: 16241-42/28-12-2020-10-01-1 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख बरें।
23. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर दिशा निर्देश/जिला अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
24. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
25. संलग्न उपादंष्ट के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

*Sy*  
(कमल सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
मैनपुरी ७

प०स०/उच्चाधिक स्तर मान्यता/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैनपुरी।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, सुल्तानगंज।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
मैनपुरी।

